निर्णय बइजलास श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़, जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :–121/2025 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 24/11/2025
निर्णय दिनांकः– 28/01/2026

अनवान

1. मिठालाल पिता तुलसीराम सुथार निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. मथुरालाल पिता गिरधारीलाल सुथार निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. जयराम पिता गिरधारीलाल सुथार निवासी माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता गिरधारी सुथार माता का गांव तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1–2 व सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनवान का एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का न्यायालय आपमें ठोस एवं सच्चे आधारो पर पेश कर दिया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमिया राजस्व ग्राम माता का गांव पटवार सर्कल नराणा तहसील देवगढ जिला राजसमंद में आराजी संख्या 104/1, 105/1, 108, 110/1, 111/1, 112, 114/1, 115, 116, 181/1, 184, 185, 187 कुल किता 13 कुल रकबा 32–07 बीघा भूमि स्थित है। उक्त पैरा संख्या दो में वर्णित कृषि भूमियो का प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है, और प्रार्थीगण एवं विपक्षी उसी अनुसार अपने स्वामित्व व हिस्से की भूमियों पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर कृषि कार्य कर रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के मध्य पूर्व में पारिवारिक बंटवाडा हुआ, उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी ने मिल कर तहसीलदार साहब देवगढ़ के यहाँ अपनी अपनी सहमति से उपरोक्त सभी आराजियात का विभाजन करना

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

स्वीकार कर विभाजन हेतु सहमति स्वीकृति दी गई। जिसका आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया, जिस पर सभी खातेदारो (प्रार्थीगण एवं विपक्षी) के द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर कर स्वीकार किया गया। उका विभाजन पत्र की पालना भी विपक्षी के द्वारा नहीं की जा रही है, जबकि उक्त विभाजन पत्र से प्रार्थीगण एवं विपक्षी पाबन्द है, विपक्षी के द्वारा किया जा रहा कृत्य अवैध व विधि विरूद्ध है। उक्त पैरा संख्या दो में वर्णित आराजियात के संबंध में विभाजन विलेख में यह स्पष्ट रूप से तय किया गया कि उक्त भूमियो में प्रार्थीगण एवं विपक्षी अपने अपने हिस्से पर काबिज रहेगे, अन्य पक्षकारो का आने जाने का रास्ता, गाडी गडार एवं पानी का चोरा जिस किसी भी पक्षकार के खेतों से आती जाता है, उसे बन्द नहीं करेगा, कोई भी पक्षकार किसी भी पक्षकार का आने जाने का रास्ता, पानी का धोरा बन्द नहीं करेगा। आज से करीब 2 माह पूर्व विपक्षी के द्वारा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में आवागमन के रास्ते की भूमि के दोनो तरफ बनी पत्थरो की दीवार को तोड कर एवं उनके खेतो में आ जा रहे पानी के धोरे को बन्द कर रास्ता व पानी को अवरूद्ध करने का प्रयास किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थीगण ने विपक्षी को ऐसा करने से रोका तो विपक्षी के द्वारा गाली गलोच कर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने को आमादा हो गया व एलानियां धमकियां दे रहे है कि प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि में आने जाने रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्ध ताफेसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी प्रार्थीगण के हिस्से की आराजियात में आने जाने के रास्ते व पानी के धोरे की भूमि में किसी प्रकार की रूकावट बाधा अवरोध पैदा नहीं करे तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट बाधा उत्पन्न नहीं करे व न ही रास्ते व पानी के धोरे की भूमि को खुर्द बुर्द ही करे। एंव वक्त आपसी बंटवारे के समय लिखित ईकरारनामे के अनुसार मौके पर शर्तो की पालना करे व वादीगण आपसी बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज है उनके उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे। दौराने वाद यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियो पर आने जाने के रास्ते व पानी के धोरे की भूमियो में रूकावट बाधा अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है तो आदेशात्मक आज्ञा से विपक्षी के खर्चे पर हटवाया जाकर पूर्ववत स्थिति विवादग्रस्त भूमि की कायम कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। जवाब के विशेष उत्तर में उल्लेख किया कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या एक में वर्णित आराजी नम्बर गतं सेटलमेन्ट के आराजी नम्बर है, जबकी प्रार्थना पत्र में वर्तमान आरजी नम्बर का अंकन नही है। वर्तमान में पूर्व आपसी सहमती से भूमि का बंटवारा होने से प्रार्थीगण एवं विपक्षी का पृथक पृथक खाता कायम हो चुका है। विपक्षी विकलांग होकर चलने फिरने में असमर्थ है। केवल परेशान करने के नियत से दावा किया गया है। जो गलत है। पूर्व में प्रार्थीगण व विपक्षी कि शामलात भूमि का आपसी सहमती से बंटवारा हुआ

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उसी अनुसार भूमि पृथक पृथक भूमि नाम पर दर्ज होकर वर्तमान में ग्राम माता का गांव कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 1.9300 हैक्टेयर भूमि विपक्षी के नाम दर्ज है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया अवलोकन से जाहिर आया कि भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से विभाजन होकर पृथक खातेदारी स्थापित है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रतिवादी द्वारा उसके विधिक कब्जे में वास्तविक एवं तात्कालिक हस्तक्षेप किया गया हो। केवल मौखिक आरोप निषेधाज्ञा जैसी असाधारण राहत प्रदान करने हेतु पर्याप्त नहीं माने जा सकते। प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में असफल रहा है। प्रार्थी की कथित हानि केवल अनुमानाधारित है। अतः सुविधा का संतुलन स्पष्टतः प्रतिवादी के पक्ष में है। प्रार्थी ऐसी किसी वास्तविक, तात्कालिक एवं अपूरणीय हानि को प्रमाणित नहीं कर सका है।

उपरोक्त विवेचन से उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी प्रथम दृष्टया अधिकार सिद्ध करने में असफल, सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में, अपूरणीय क्षति सिद्ध नहीं होने से उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

28/1/2026

(मोहकम सिंह सिमसिनवार R.A.S.)
सहायक कलक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द